न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 16 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार भू.अ. सायला जिला जालोर		श्री पूनमा वल्द डाया वगैरह जातियान भाट निवासी थलवाड

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित– 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

दिनांक 20/05/19

आदेश

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरों के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत यह है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1687 / 1704 रकबा 0.20 हे. पूनमा वल्द डाया कौम भाट सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तद्नुसार जमाबन्दी संवत् 2055–58 में भी उक्त खसरा नम्बर 1687 / 1704 रकबा 0.20 हे., में भी पूनमा वल्द डाया कौम भाट सा.देह खातेदार दर्ज है, परन्तु (अ) उसके पश्चात से आदिनांक तक नवीनतम जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1687 / 1704 की बजाय 1686 / 1704 रकबा 0.20 हे. दर्ज हो गया जो वर्तमान में मोहन श्रवन पि. पूनमा अणसीदेवी शारदादेवी पुत्रियां स्व. पूनमा कौम भाट सा.देह खातेदार दर्ज है एवं (ब) नक्शा शीट एवं लट्ठा में उक्त खसरा नम्बर 1687 / 1804 दर्ज है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1687 / 1804 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है तथा जमाबन्दी संवत् 2055–58 के पश्चात से लगातार आदिनांक तक उक्त खसरा 1687 / 1704 की बजाय 1687 / 1704 दर्ज है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि (अ) मिसल बन्दोबश्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1687 / 1804 की बजाय 1687 / 1704 शुद्ध संशोधन किया जा सके एवं (ब) जमाबन्दी संवत् 2056–59 से आदिनांक तक में खसरा नम्बर 1686 / 1704 की बजाय 1687 / 1704 शुद्ध/संशोधन किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थीगण गैर हाजिर। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
सायला (राज.)

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1687/1704 रकबा 0.20 हे., पूनमा वल्द डाया कौम भाट सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2055–58 में भी उक्त खसरा नम्बर 1687/1704 रकबा 0.20 हे., में भी पूनमा वल्द डाया कौम भाट सा.देह खातेदार दर्ज है, परन्तु (अ) उसके पश्चात से आदिनांक तक नवीनतम जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में उक्त 1687/1704 की बजाय 1686/1704 रकबा 0.20 हे. दर्ज हो गया जो वर्तमान में मोहन श्रवन पि. पूनमा अणसीदेवी शारदादेवी पुत्रियां स्व. पूनमा कौम भाट सा.देह खातेदार दर्ज है एवं (ब) नक्शा शीट एवं लट्ठा में उक्त खसरा नम्बर 1687/1804 दर्ज है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1687/1804 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मिसल बन्दोबश्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1687/1804 की बजाय 1687/1704 एवं जमाबन्दी संवत् 2056–59 से आदिनांक तक में खसरा नम्बर 1686/1704 की बजाय 1687/1704 में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली,तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत है तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार सरहद मोजा थलवाड के मिसल बन्दोबश्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1687/1804 की बजाय 1687/1704 एवं जमाबन्दी संवत् 2056–59 से आदिनांक तक में खसरा नम्बर 1686/1704 की बजाय 1687/1704 दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा थलवाड के मिसल बन्दोबश्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1687/1804 की बजाय 1687/1704 एवं जमाबन्दी संवत् 2056–59 से आदिनांक तक में खसरा नम्बर 1686/1704 की बजाय 1687/1704 में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक ......20/05/19...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला

उपखण्ड अधिकारी
सायला (राज.)